

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896] No. 896] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.आ. 1005(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अप्रैल, 2017 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:—

- (1) धारा 59;
- (2) धारा 209 से धारा 215 (जिसके अंतर्गत दोनों हैं);
- (3) धारा 216 की उपधारा (1); और
- (4) धारा 234 और धारा 235।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

S.O. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2017 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:—

- (1) section 59;
- (2) section 209 to section 215 (both inclusive);
- (3) sub-section (1) of section 216; and
- (4) section 234 and section 235.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

1805 GI/2017